राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 20676–719 दिनांक : 20/09/2023

1. **उप निदेशक (क्षेत्रीय),**
   स्थानीय निकाय विभाग,
   (समस्त) राजस्थान।

2. **आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,**
   नगर परिषद / पालिका,
   सावर, दुनी, गोलूवाला, खिरनी, वजीरपुर, मंडरायल, कठुमर, मुबारिकपुर, रैणी, नौगांव, मालाखेड़ा, मुण्डावर, फागी, दूदू, बसवा, सिकराय, भाण्डारेज, रामगढ़–पचवारा, लवाण, वाटिका, रामदेवरा, शेरगढ़, बाप, केलवाडा, सीसवाली, हिण्डोली, दई, सुकेत, आहोर, पौंख, सिंघाना, मावली, वल्लभनगर, भीम, रायपुर, आकोला, खेरवाड़ा।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24 तैयार किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु निकायवार वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओ का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेः–

1. वार्षिक कार्य योजना परिशिष्ट–1 पर संलग्न प्रारूप में तैयार की जावेगी।
2. मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इसके लिये निकायो के वार्डो में आवश्यकता अनुरूप कार्यो को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मलित किया जावे।
3. योजनान्र्तगत अनुमत कार्यो, जो कि तकनीकी रूप से कराये जाने संभव है तथा उपयोगी एवं उपादेयी हों, को ही प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में सम्मिलित किया जावे।
4. तालाब, पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान, स्टेडियम आदि के कार्यो हेतु कम्पोजिट प्लान तैयार किया जावे। कार्य के टुकडे कर अलग–अलग नाम से ना तो कार्य योजना में जोडा जावे तथा ना ही स्वीकृति के लिये प्रस्तावित किया जावे।
5. कार्यो की अलग पहचान हो व दोहरापन ना हो, इसके लिए एक कार्य को एक ही यूनिक कोड से एक ही बार स्वीकृत करने का प्रावधान रखा जावे।
6. विस्तृत तकमीने (मय आवश्यक श्रम व सामग्री गणना) अनुसार अपेक्षित वित्तीय प्रावधानो का गहनता से निर्धारण किया जावे।
7. कार्यकारी विभाग यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागो के द्वारा प्रस्तावित कार्यो को कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।

वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधानः–

वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना की जावेगी।

(अ) श्रम मद–रोजगार पर नियोजित होने वाले सम्भावित परिवारो की संख्या X प्रति परिवार औसत कार्य दिवस X प्रति श्रमिक औसत मजदूरी राशि (259 रूपये प्रतिदिन)।

(ब) सामग्री मद– कुल व्यय का अधिकत्तम 25 प्रतिशत (एक चौथाई)।

(स) प्रशासनिक मद–योजनान्तर्गत होने वाले श्रम एवं सामग्री मद के कुल व्यय का 6 प्रतिशत।

(द) कुल प्रावधान–श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

नगरीय निकाय स्तर पर कार्य योजना परिशिष्ट–1 एवं 2 के अनुरूप तैयार किया जाना है। **वित्तीय वर्ष में आवंटित सीमा राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time) तक के कार्य योजना में शामिल किये जावे।**

वार्षिक कार्य योजना अविलंब तैयार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदित करायी जावे जिससे नवीन नगरीय निकायों हेतु आवश्यक बजट प्रावधान की स्वीकृति वित विभाग से प्राप्त होते ही योजनान्तर्गत कार्य शुरू कराये जा सके।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY/2023–24 / 20720-754 दिनांकः 20/09/2023

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, केकड़ी, टोंक, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, अलवर, खैरथल–तिजारा, दूदू, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बांरा, बूंदी, कोटा, जालोर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़।
4. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (आईटी) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब DoIT से सम्पर्क कर नवीन सृजित नगरीय निकायों को IRGY पोर्टल पर मेप कराने की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (IRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
8. सुरक्षित पत्रावली।

20/9/2023

परियोजना निदेशक (IRGY)

LETTER 1ST/Letter 2nd/322

"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24

निकाय .... जिला ....

1. श्रम बजटः–

- अनुमानित मानव दिवसों का सृजन (क्रम संख्या–2 में वार्षिक कार्य योजना का सारांश में कॉलम संख्या 9 के अनुसार) ....
- अनुमानित व्यय (क्रम संख्या–2 में वार्षिक कार्य योजना का सारांश में कॉलम संख्या 6 के अनुसार) ....
- श्रम सामग्री का अनुपात ....

2. वार्षिक कार्य योजना का सारांशः–

क्र. सं.	कार्य योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो मे)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यो का विवरण B. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीयो को 125 दिवस की राशि का भुगतान।							
योग (वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित कार्य योजना)								

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिशाषी अभियंता
नगर निगम / परिषद् / पालिका
....

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद् / पालिका
....

"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24

निकाय .... जिला ....

A. नवीन प्रस्तावित कार्य Tangiable Works यथा पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, बावड़ी, तालाब, खेल मैदान, स्टेडियम, इंटरलॉकिंग तथा गाईडलाईन में अनुमत कार्य जिनको वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्य योजना में सम्मलित किया जाना है:–

क्र. सं.	कार्य संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रम व सामग्री का अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
योग								

B. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीयो के कार्य हेतु 125 दिवस की राशि दिये जाने का विवरण–

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	वर्ग अजा / जजा / बीपीएल	आवास स्वीकृति का क्रमांक दिनांक	IRGY के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली 125 दिवस के अतिरिक्त राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
योग				

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिशाषी अभियंता
नगर निगम / परिषद / पालिका
....

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
....